उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 11/2015–16

सुनीलाल मुर्मू ..... अपीलकर्ता

बनाम

झारखंड सरकार ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

29/01/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 11/2015–16 सुनीलाल मुर्मू, सा0 तितगों, अंचल रामगढ़ बनाम् झारखंड सरकार के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आदेश सं0– 44/2015 जो ज्ञापांक 330 दिनांक 04.06.2015 द्वारा अपीलकर्त्ता को निर्गत किया गया है, के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा अपने बीमारी के कारण वर्ष 2012 से 2015 तक अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है। उन्होंने अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क जमा करने एवं दुकानदार नियुक्त करने हेतु आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में दिया गया। इस पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्ता द्वारा वर्ष 2011 तक चलान जमा किया गया है। इसके बाद वर्ष 2012 से 2015 चार वर्षो से इनका लाईसेंस नवीकरण नहीं हुआ है। सरकार के निर्देशानुसार एवं अनुज्ञप्ति शर्तो के मुताबिक यदि एक वर्ष भी अनुज्ञप्ति नवीकरण चलान जमा नहीं होता है तो अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो जाती है। इसी प्रतिवेदन के आधार पर अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता बीमारी के कारण चार वर्षो से दुकान बन्द था। फलतः अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है। उन्होंने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि उन्हें अनुज्ञप्ति के पूर्व कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया है।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता द्वारा बिहार कन्ट्रोल ऑर्डर का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

अपीलकर्त्ता की ओर से 2014(3) J.B.C.J. में प्रकाशित L.P.A. No. 271/2013 देव कुमार पासवान बनाम् झारखंड सरकार में पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 की प्रति दाखिल करते हुए कहना है कि अपीलकर्त्ता आदिवासी संथाल है जो निम्न स्तर के समाज अन्तर्गत

आते है। अतः उन्हें सही सलाह एवं मार्गदर्शन के साथ मौका मिलना चाहिए। किन्तु सरकार का आदेश है कि नया अनुज्ञप्ति सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) को ही निर्गत किया जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा चार वर्षो से अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क जमा नहीं करने के कारण उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है जो सही प्रतीत होता है। अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को रद्द किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।